पंजीकृत / मेल

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक / 1949 / स0क0 / पेंशन / 2021—22 दिनांक 14 अक्टूबर 2021

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः— दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 336/XVII-2/20-19(05)2019 समाज कल्याण अनुभाग—2, देहरादून दिनांक 12.10.2021 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन की वर्तमान प्रदत्त दर ₹ 1000 / — प्रतिमाह में ₹ 200 / — की वृद्धि किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त कम में शासनादेश की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2021—22 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु मांग को बढ़ी हुई दर के अनुरूप आंगणन कर निदेशालय को प्रेषित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(के0आर0जोशी) 14.10.21
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन सं0 / / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को पत्र सं0 336/XVII-2/20-19(05)2019 दिनांक 12.10.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

संख्या–336 /XVII–2/20–19(05) 2019

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 12 अक्टूबर,2021

विषयः–दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3107/स॰क॰/दि॰पेंशन /2020–21 दिनांक 15फरवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–184/XVII-I/16–06(91)/2006 दिनांक 27 मई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–641/XVII-I/16–01(16)/2014 दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन की वर्तमान प्रदत्त दर ₹1000/–प्रतिमाह में ₹200/–प्रतिमाह की दर से वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 27.05.2016 एवं दिनांक 29.7.2016 एवं अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा॰प॰सं॰–120(म॰)/XXVII(3)/2021 दिनांक 04–10–2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

12/10/21

(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– /XVII–2/21–19(05) 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰मुख्यमंत्री को मा॰मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

4–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

क्रमशः – पृष्ठ 2

5– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।

6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

7– सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।

8– अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।

9– आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल, नैनीताल / पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

10–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

11–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

12–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

13–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

14–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

15–समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

16–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।

17–गार्ड फाईल।

(एल०फैनई)
प्रमुख सचिव।